हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी

22/10/18 आज पत्रावली पेश हुई। बमुलाहिजा आप/प्रार्थिनी की मूल दावा पत्रावली आज मृत व्यक्तियों/पक्षकारों के विरुद्ध दावा चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः यह पत्रावली तकनीकी कार्यवाही हेतु तस्दीक पर खारिज की जाती है एवं पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त किये जाते हैं। फैसलशुदा होने से खर्चे कम घटे बढ़े क्लेम तलाक हलफवार है। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner